"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 530] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 नवम्बर 2015 — कार्तिक 22, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-3/2013/1-7. — भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो सेवा भर्ती नियम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियम में,-

नियम-18 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"**18 परिवीक्षा**-सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये प्रत्येक व्यक्ति को, दो वर्ष की कालावधि के लिये स्थानापन्न हैसियत से परिवीक्षा पर रखा जायेगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2015

क्रमांक एफ 2-3/2013/1-7.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 नवम्बर, 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

Naya Raipur, the 9th November 2015

NOTIFICATION

No. F 2-3/2013/1-7. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh State Bureau of Investigation of Economic Offences Service Recruitment Rules, 2014, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

For rule 18, the following shall be substituted, namely :-

"**18 -Probation**-Every person appointed by promotion to the service shall be held on probation on officiating capacity for a period of two years."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISHRA, Additional Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.